

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-08082025-265313
SG-DL-E-08082025-265313

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226]

दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 5, 2025/श्रावण 14, 1947

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 156

No. 226]

DELHI, TUESDAY, AUGUST 5, 2025/SHRAVANA 14, 1947

[N. C. T. D. No. 156]

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग
(दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति)

अधिसूचना

दिल्ली, 4 अगस्त, 2025

फा. सं. डीपीसीसी/(3)(3)(8-21)/प्राा-14/2111.— जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 2 के खंड(i) के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 5 सितंबर, 2016 की अधिसूचना सं. ३० डीपीसीसी/(3)(3) (8-21)/प्रशाा-14/2025 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से एतद द्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में कनिष्ठ सहायक (पूर्ववर्ती अवर श्रेणी लिपिक) के पद हेतु भर्ती पद्धति के संबंध में विनियम बनाते हैं, अर्थात :—

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :— (1) इन विनियमों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, कनिष्ठ सहायक भर्ती विनियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :— उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. **अयाग्यता** :— वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, तो वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

6. **प्राथिल करने की भावित** :— जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

7. **बचाव** :— इन विनियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु—सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	कनिष्ठ सहायक
2.	पदों की संख्या	:	44*(2025) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	समूह 'ग'
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—2 (रूपये 19900—63200/-)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	गैर—चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18—25 वर्ष (* यदि पदों को अखिल भारतीय प्रतियोगिता द्वारा भरा जाना है, तो आयु—सीमा 18—27 वर्ष के बीच होगी।) (भारत सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अनुदेशों/ आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/दिव्यांग श्रेणी इत्यादि तथा सरकारी कर्मचारियों के मामले में शिथिलनीय।) टीप:-1 आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विज्ञापित होगी। टीप:-2 केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से 12वीं कक्षा/इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हो। (ख) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (10500 केडीपीएच / 9000 केडीपीएच पर औसतन प्रति शब्द के लिए 5 की (मल) दबाने के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट)
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु एवं निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	दो वर्ष

10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	(i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; (ii) 15 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	:	<p>पदोन्नति :</p> <p>1. वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रुपये 18000-56900/-) में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में कार्यरत एमटीएस कर्मचारी, जो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/ बोर्ड/संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो तथा वरिष्ठता के आधार पर ग्रेड में तीन वर्षों की नियमित सेवा वालों में से, अयोग्य को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस पद्धति द्वारा चयनित उम्मीदवारों को परिवेश की अवधि के दौरान कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट (10500 केडीपीएच / 9000 केडीपीएच पर औसतन प्रति शब्द के लिए 5 की (मल) दबाने के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट या 30 शब्द प्रति मिनट) टंकण गति की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा, जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा छूट न दी जाए।</p> <p>टीप:- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे विचारणीय हैं। बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक सेवा की अवधि के आधे से अधिक या दो वर्ष,जो भी कम हो,से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) ऐसी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।</p>
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण/पदोन्नति समिति जिसमें निम्न शामिल है: 1. सदस्य सचिव, डीपीसीसी – अध्यक्ष 1. उप-सचिव (पर्याप्त) – सदस्य 2. प्रशासनिक अधिकारी, डीपीसीसी – सदस्य 3. अध्यक्ष द्वारा नामित दो विशेषज्ञ, डीपीसीसी – सदस्य
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

संदीप मिश्रा, सदस्य सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

(Delhi Pollution Control Committee)

NOTIFICATION

Delhi, the 4th August, 2025

F. No. DPCC/(3)(3)(8-21)/Admn-14/2111.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and in supersession of Notification No. DPCC/(3)(3)(8-21)/Admn-14/2025 dated the 5th September, 2016 published in the Delhi Gazette, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, Delhi Pollution Control Committee, with prior approval of Hon'ble Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes the regulations regarding method of recruitment for the post of Junior Assistant (erstwhile Lower Division Clerk) in the Delhi Pollution Control Committee, namely:-

1. Short title and commencement.—(I) These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, Junior Assistant Recruitment Regulations, 2025.

(II). They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in Pay Matrix.** - The number of said posts, their classification and level in Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications.** - No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax.** - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of posts	Classification	Level in Pay Matrix	Whether Selection post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Junior Assistant	44*(2025) *subject to variation dependent on workload.	Category 'C'	Level 2 (Rs 19900- 63200/-) in Pay Matrix	Non-Selection	<p>Between 18-25 years*. (* in case of post being filled by all-India competition, the age limit would be in between 18-27 years)</p> <p>(Relaxable in case of SCs/STs/OBCs /PH category etc. and government servant as per instructions/orders issued by the Govt. of India from time to time.)</p> <p>Note 1 - The crucial date for determining the age limit shall be advertised by the competent authority.</p> <p>Note 2 :-Relaxable for Government servants upto 40 years of age in accordance with the instructions or order issued by the Central Government.</p>

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
7	8	9	10	11
(a) 12 th Class/ Intermediate pass	Not Applicable	Two Years	(i) 85% by direct recruitment;	<p>Promotion:</p> <p>MTS employees</p>

<p>from a recognized Board/Institution.</p> <p>(b) Typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer (35 w.p.m. correspond to 10500KDPH/9000K DPH on an average of 5 key depressions for each word.</p>			<p>(ii) 15% by promotion failing which by direct recruitment.</p>	<p>working in DPCC in Level 1 (Rs. 18000-56900/-) in Pay Matrix who possess qualification of Matric / 10th Pass from recognized School/Board/Institution and having three regular years services in the grade on the basis of seniority subject to rejection of Unfit. The candidates selected by this method shall be required to pass a test of the typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on Computer (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/9000KDPH on an average of 5 key depression for each work) during the period of probation unless exempted by the Competent Authority.</p> <p>Note:- Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying service, or two years, whichever is less and have successfully completed their</p>
--	--	--	---	--

				probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.
--	--	--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13
Group – C Departmental Confirmation/Promotion Committee consisting of: <ol style="list-style-type: none"> 1. Member Secretary, DPCC – –Chairman 2. Deputy Secretary (Env.) – Member 3. Administrative Officer, DPCC – Member 4. Two experts to be nominated by Chairman, DPCC – Member 	Not applicable

SANDEEP MISHRA, Member Secy.